

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर रोहट

रोहट

श्रीमाराज

मुकाम

तेजाराज वर्गारठ

राजस्व विविध

बनाम

13/19

सन 2019

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

6-19

वकील शर्मा उपन
 वकील शर्मा द्वारा यह शर्तना पत्र
 फिलहाल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय
 7 के, ई. नं. 212 राजस्थान
 का बरतगरी अधिनियम व कादेश 39
 क्रि. 1 व 2 सफाई धारा 151 ए. ए. ए.
 के तहत प्रस्तुत किया गया है यह
 शर्तना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर
 अप्रार्थीगण की हलकी हेतु नोटिस
 जारी है। पत्रावली दिनांक 12.7.19
 का पेश है।



Saw
 सहायक कलेक्टर
 रोहट

12.7.19


वकील शर्मा उपन अप्रार्थी सं. 1 लगाय 539
 अप्रार्थीगण ने आदि किया कि अप्रार्थी सं. 6
 पत्र है उगी है वकील शर्मा अप्रार्थी सं. 6
 के भाग को की सूचना प्रस्तुत करे अप्रार्थी
 सं. 7 का नोटिस प्र. नही लीया है अतः
 इत्जार होर पत्रावली दिनांक 7.8.19 को
 पेश है।

Saw
 SDO/13/19

2019
 12/07/19

महाराज

 ल. 1. मकरा

 ल. 1. 6
 सहायक
 तेजाराज

20.8.19



वकील शर्मा उषा शर्मा वरुण शर्मा के द्वारा 15.8.19 को पत्र लिखा गया जिसमें वकील शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील शर्मा को 4.9.19 को पत्र लिखा जा चुका है।

Sd/-
अवध शर्मा

4.9.19

श्री. अशोक कुमार शर्मा को पत्र लिखा जा चुका है।
श्री. अशोक कुमार शर्मा को पत्र लिखा जा चुका है।
श्री. अशोक कुमार शर्मा को पत्र लिखा जा चुका है।

9.10.19

वकील शर्मा उषा शर्मा वरुण शर्मा के द्वारा 9.10.19 को पत्र लिखा गया जिसमें वकील शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील शर्मा को 22.11.19 को पत्र लिखा जा चुका है।

Sd/-
अवध शर्मा

22.11.19

वकील शर्मा उषा शर्मा वरुण शर्मा के द्वारा 22.11.19 को पत्र लिखा गया जिसमें वकील शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील शर्मा को 22.11.19 को पत्र लिखा जा चुका है।

Sd/-
अवध शर्मा